यह निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रधानाचार्य,राजकीय पॉलीटैक्नीक, गरुड़, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गरुड़,के माह 07/2010 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षक,श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27/06/2018 से 30/06/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2010 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** यह संस्था जिला बागेश्वर, गरुड मे स्थित है।जिला मुख्यालय से 60 कि॰मी॰ कि दूरी पर स्थित गरुड़ तहसील के ग्राम - खडेरिया,पोस्ट-भेटा मे स्थित है।वर्तमान मे संस्था मे मेकेनिकल इंजी॰ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है।संस्था का अपना भवन है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र.सं॰	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि॰ (+)	बचत
		प्रा.शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा.शे॰	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	48.07	47.51	-	26.83	24.47	0	2.92
2	2016-17	-	39.50	39.18	-	7.33	6.75	0	0.9
3	2017-18	-	54.50	54.42	-	13.99	13.55	0	0.52
4	2018-19 (05/2018 तक)	0	89.00	14.56	-	9.02	2.48	0	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		प्राप्त धनराशि			
	प्रा॰ शेष	आवंटन	योग	व्यय	बचत
2015-16(R)	0	0	0	0	0
2015-16(NR)	0	0	0	0	0

2016-17(R)	0	0	0	0	0
2016-17(NR)	0	0	0	0	0
2017-18 (R)	0	0	0	0	0
2017-18(NR)	0	0	0	0	0
2018-19 (05/2018तक)(R)	0	0	0	0	0
2018-19 (05/2018तक)(NR)	0	0	0	0	0

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "सी" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

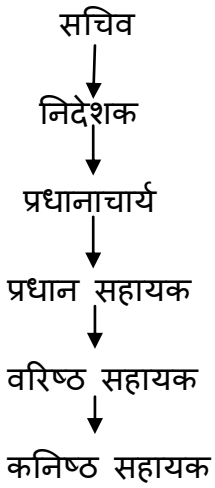

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्नीक, गरुड़ की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्नीक,गरुड़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2011,03/2012,05/2015,02/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -2 ब</u>

प्रस्तर :- 1 कार्यदायी संस्था के पास धनराशि र 50.00 लाख विगत 7वर्षो से अवरूद्ध रहना |

कार्यालय राजकीय पालिटेक्निक गरुड जनपद वागेश्वर के महिला छात्रावास से संबन्धित पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच मे पाया कि केंद्र पोषित योजना के अंतरगत भारत सरकारके पत्र संख्या -Fno-15-2/2010 TSIV दिनांक 20 दिसम्बर 2010 के द्वारा उत्तराखंड के राजकीय पालिटेक्निक गरुड मे महिला छात्रावास मे 50 कमरे के निर्माण हेतु धनराशि रु. 1.00 करोड़ के स्वीकृति के सापेक्ष र 50.00 लाख प्रथम किस्त के रूप मे व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे राजकीय पालिटेक्निक गरुड द्वारा दिनांक 12-01-2011 को धनराशि 50.00 लाख बचत खाता संख्या 31581191263 (Construction ofWomanHostel) मे जमा किया गया| संस्थान के पास भूमि न होने के कारण महिला छात्रावास का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका| उक्त धनराशि संस्थान के पास अवरूद्ध पड़ी थी| महिला छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिये विभाग द्वारा धनराशि प्राप्त करने के उपरांत कोई ठोस प्रयास नहीं किए गये थे और न ही शासन द्वारा धनराशि कार्यदायी संस्था से वापस ली गई |

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि निदेशालय तथा शासन को पत्राचार किया गया तथा भूमि उपलब्ध न होने कि स्थिति मे निदेशालय को अवगत कराया गया था तथा धनराशि निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्धकराई गई थी| अगणन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जा रहा है | वर्तमान मे 50 कमरो का निर्माण नहीं हो सकेगा सिर्फ 05 कमरो का निर्माण कराया जा रहा है |

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यदि भूमि समय से उपलब्धकराई गई होती तो महिला छात्रावास मे 50 कमरो का निर्माण किया जाता अत: कार्यदायी संस्था द्वारा महिला छात्रावास मे 50 कमरो के स्थान पर वर्तमान मे केवल 05 कमरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है |

अत: धनराशि र 50.00लाख अवरुद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है |

<u>भाग-दो ब</u>

प्रस्तर:2- किराया उपशुल्क एवं कर मद(17) मे आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी के तहत भवन मालिक से ₹ 33089.00 की धनराशि का टीडीएस में कटोती न करना।

आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी के अंतर्गत संस्था द्वारा वर्ष -2009-10 से 2015-16 तक किराया उपशुल्क एवं कर मद (17) मे ₹ 1657472.00 की धनराशि पर 2% की दर से भवन मालिक से ₹ 33089.00 की धनराशि की टीडीएस कटोती की जानी अपेक्षित थी, परंतु सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि निम्न लिखित माहों मे भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष कॉलेज द्वारा भवन मालिक से कोई टीडीएस की सम्प्रेक्षा तिथि(05/18) तक कटौती नहीं की थी। जिसका विवरण निमन्वत हैं।

क्रमसंख्या	**माह**	**धनराशि(₹)**
01	12/11	13828.00
02	03/12	21932.00
03	02/12	13828.00
04	11/2011	35760.00
05	09/2010	35760.00
06	07/2012	21932.00
07	06/2012	21932.00
08	05/2012	35760.00
09	04/12	35760.00
10	03/12	35760.00
11	09/2013	35760.00
12	08/2013	35760.00
13	07/13	35760.00
14	06/13	35760.00
15	05/13	35760.00
16	02/13	21932.00
17	04/2013	13828.00
18	03/2013	35760.00
19	02/14	35760.00
20	01/14	13828.00
21	12/13	13828.00
22	10/11	35760.00
23	08/11	35760.00
24	07/11	35760.00
25	06/11	21932.00
26	06/10	13828.00
27	05/11	35760.00
28	04/10	35760.00
29	03/10	35760.00
30	12/2012	35760.00
31	09/12	35760.00
32	08/12	35760.00
33	07/12	13828.00
34	06/12	13828.00
35	12/13	21932.00
36	01/14	21932.00
37	09/14	21932.00
38	10/14	35760.00
39	11/14	21932.00
40	07/14	35760.00

41	05/14	35760.00
42	06/14	35760.00
43	12/14	21932.00
44	01/15	21932.00
45	02/15	21932.00
46	09/15	13828.00
47	10/15	13828.00
48	02/15	13828.00
49	03/15	35760.00
50	04/15	35760.00
51	05/15	35760.00
52	06/15	35760.00
53	07/15	35760.00
54	08/15	35760.00
55	09/15	21932.00
56	10/15	21932.00
योग		1657472.00

इस प्रकार संस्था को उक्त धनराशि पर 2% की दर से ₹ 33089.00 की कटौती की जानी चाहिए थी परंतु कॉलेज द्वारा उक्त प्रकरण मे आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी का उलंघन कर उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी। इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर कॉलेज द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया हैं कि उक्त टीडीएस धनराशि की कटोती नहीं की थी, भविष्य मे इसका ध्यान रखा जाएगा। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि विभाग द्वारा लगभग 08-09 वर्ष तक नियमों से अनजान बनते हुए उक्त टीडीएस धनराशि की कटोती नहीं की थी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
-	-	-	-
योग	-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्नीक, गरुड़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	श्री के॰के॰श्रीवास्तव - प्रधानाचार्य	10-2009 से 07-08-2017 तक
2.	श्री ओमपाल सिंह - प्रधानाचार्य	08-08-2017 से 31-10-2017 तक
3.	श्री नवीन चन्द्र - प्रधानाचार्य	01-11-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्नीक, गरुड़, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार,सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़- 248195 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.